राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जांच) विभाग

क्रमांकःप.1(211)का./क–3/14 जयपुर, दिनांकः 7 DEC 2016

–ःपरिपत्रः–

राज्य सरकार के द्वारा यह अनुभव किया जा रहा हैं कि कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23.05.2002 व 20.09.2016 एवं समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना विभागों द्वारा नहीं की जा रही हैं। राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव अभिलेखों का गहन अध्ययन किये व प्रकरणों का समुचित परीक्षण किये बिना ही कार्मिक विभाग को भिजवा दिए जाते हैं। कार्मिक विभाग के द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त जब संबंधित विभागों से टिप्पणी ली जाती हैं, तब विभागों द्वारा आरोपित अधिकारी के विरूद्ध प्रकरण को समाप्त करने की अनुशंषा कर दी जाती हैं, इससे अधिकारियों को अनावश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही में उलझना पड़ता हैं व उनके मनोबल व कार्यक्षमता पर विपरीत असर पड़ता हैं तथा विभाग स्तर पर अनावश्यक श्रम व समय का अपव्यय होता हैं, जो उचित नहीं हैं।

अतः समस्त विभागों को निर्देशित किया जाता हैं कि वे विभाग के राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भिजवाने से पूर्व संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें, कि प्रकरण के दस्तावेजों/तथ्यों व पूर्ण अभिलेख का गहनता से अध्ययन/परीशीलन करें। आरोपित अधिकारी के विरूद्ध प्रस्तावित किये जाने वाले आरोप उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाणित हो सकने की पूर्ण संतुष्टि होने पर ही, कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भिजवाये जावें और भविष्य में उक्त निर्देशों की पालना में उदासीनता/लापरवाही नहीं बरती जायें। अतः उक्त निर्देशों की कठोरतापूर्वक पालना सुनिश्चित करवायी जावें।

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल/मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर को पालनार्थ।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. प्रोग्रामर कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

(विवेक कुमार)
शासन उप सचिव